

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 यह अध्याय अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक मंत्रालय को भेजे गए 320 महत्वपूर्ण और उच्च महत्व के निगम कर मामलों पर चर्चा करता है। इनमें से, 280 मामलों में ₹ 3404.78 करोड़ का अवप्रभार शामिल है और 40 मामलों में ₹ 446.08 करोड़ का अधिप्रभार⁵¹ शामिल है। गलत निर्धारण के मामले आयकर विभाग (आईटीडी) की निर्धारण प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को निम्न प्रकार विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया।

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायतें/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूक के कारण निर्धारणों/से छूटी आय
- अन्य - कर/ब्याज का अधिप्रभार इत्यादि

तालिका 2.9 (पैरा 2.4.4) त्रुटियों और उनके कर प्रभाव की विस्तृत श्रेणियों का विवरण दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

3.1.3 मंत्रालय/आईटीडी ने ₹ 2,619.44 करोड़ के कर प्रभाव वाले 180 मामलों में लेखापरीक्षा आप्तियों को स्वीकार किया जबकि ₹ 191.62 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार नहीं किया। 320 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 2,749.96 करोड़ के कर प्रभाव 218 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण कर ली है और ₹ 197.98 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 21 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 एओ ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर निर्धारणों में कमियाँ की हैं। गलत निर्धारणों के ये मामलें आईटीडी में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों के कारण हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 त्रुटियों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जो निर्धारणों की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है।

51 अधिक प्रभार सही आकड़ों को अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ, कर/ब्याज आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

तालिका 3.1 निर्धारणों की गुणवत्ता के अन्तर्गत उप-श्रेणियों की त्रुटियाँ (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	36	310.04	दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ख. कर और उपकर की गलत दर का प्रयोग	11	36.50	दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, संघ शासित-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	40	157.46	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडू, संघ शासित-चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल.
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय प्रतिदाय पर ब्याज	6	50.35	कर्नाटक और महाराष्ट्र.
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण में त्रुटियाँ	6	71.38	दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल.
कुल	99	625.73	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम नीचे छः ऐसे स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं:

धारा 143 (3) यह प्रावधान करती है कि एओ को आय को सही ढंग से नियत और निर्धारण करना होगा। रिटर्न के साथ संलग्न सभी लेखाओं अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की प्रत्येक संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जाँच करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

3.2.2.1 प्र. सीआईटी-1 दिल्ली प्रभार में, निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए एओ ने मै. अरावली पावर कंपनी प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण ₹ 113.48 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला है कि निर्धारण आदेश में ₹ 113.48 करोड़ की हानि पर पहुँचने के लिए शुद्ध लाभ और खर्चों के गलत आकड़ों को अपनाया गया और ₹ 4.90 लाख की अस्वीकृति के साथ समायोजित किया गया था। कर योग्य आय की गणना करते समय, ₹ 222.17 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 42.72 करोड़ का शुद्ध लाभ माना गया था, ₹ 260.77 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 144.18 करोड़ की वृद्धि परिकल्पित की गई थी और कटौतियाँ ₹ 419.25 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 300.38 करोड़ संगणित की गई थीं। इन

त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 63.69 करोड़⁵² की आय का कम निर्धारण हुआ और साथ ही साथ ₹ 113.48 करोड़ की हानि अधिक अग्रणीत हुई, जिसमें ₹ 57.48 करोड़⁵³ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) और अधिनियम की धारा 154⁴ के तहत त्रुटि का सुधार किया (जुलाई 2016)।

3.2.2.2 प्र. सीआईटी-3 दिल्ली प्रभार में, नि.व. 2012-13 के लिए एओ ने मै. फोर्टिस हेल्थकेयर लि. का मार्च 2015 में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 116.40 करोड़ की हानि पर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 210.71 करोड़ की आय पर संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने यह खुलासा किया कि निर्धारिती ने शून्य व्यापार आय पर अपनी रिटर्न फाईल की थी (₹ 19.16 करोड़ की सीमा तक की अग्रणीत व्यापार हानि के समंजन के बाद) और ₹ 131.68 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजी हानि के दिखा रहा है जिन्हें बाद के निर्धारण वर्ष तक आगे बढ़ाया गया था। कर योग्य आय की गणना के समय ₹ 131.68 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजी-हानि को व्यापार घाटा माना गया था और अस्वीकृति के कारण ₹ 15.28 की वृद्धि के बाद निर्धारण ₹ 8.76 करोड़⁵⁵ की आय के बजाय ₹ 116.40 करोड़ की हानि पर पूर्ण हुआ था; इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय का अब निर्धारण ₹ 8.76 करोड़ रहा और अधिक निर्धारण की हानि ₹ 116.40 करोड़ रही जिसमें संभावित कर प्रभाव ₹ 40.61 करोड़ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (फरवरी 2016)।

3.2.2.3 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) लुधियाना प्रभार, पंजाब में, नि.वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एओ ने मै. एआरके इम्पोर्ट्स प्रा. लि. के निर्धारण धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153⁵⁶ के अन्तर्गत मार्च 2016 में क्रमशः ₹ 92.89 करोड़, ₹ 520.24 करोड़ और ₹ 109.37 करोड़ की आय पर पूर्ण किए। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एओ ने गलती से निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 3.57 लाख, 97.10 लाख तथा 'शून्य' के पूर्व प्रदना करों का समायोजन करने के बाद

52 निर्धारिती ने ₹ 63.69 करोड़ की आय के प्रति समंजन के लिए उपलब्ध घाटे को अग्रणीत किया था।

53 ₹ 20.66 करोड़ (₹ 63.69 करोड़ * 30 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार + 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर) + 36.82 करोड़ (₹ 113.48 करोड़ * 30 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार + 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर)

54 एओ द्वारा जारी किसी भी आदेश में अधिलेख से स्पष्ट त्रुटि को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा जा सकता है।

55 ₹ 15.28 करोड़ - ₹ 6.52 करोड़ (₹ 6.52 करोड़ की अग्रणीत हानि के समंजन के बाद)

56 आयकर अधिनियम की धारा 153ए अन्वेषण और माँग के मामले में निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है।

₹ 44.85 करोड़, ₹ 238.17 करोड़ और ₹ 46.10 करोड़ की उद्ग्रह्य राशियों के प्रति ₹ 37.16 करोड़, ₹ 208.09 करोड़ और ₹ 43.75 करोड़ के कर माँग की उद्ग्रहण की थी। त्रुटि के परिणाम स्वरूप ₹ 40.13 करोड़⁵⁷ के कर और ब्याज का कम उद्ग्रह्य हुआ। आईटीडी ने फरवरी 2017 में धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2013-14 की त्रुटि में सुधार किया जिसमें 30.08 करोड़ की माँग की गई थी। तथापि, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 के लिए उपचारात्मक कार्रवाई विवरण अभी प्रतीक्षित था (जुलाई 2017)।

3.2.2.4 प्र. सीआईटी-1 अहमदाबाद प्रभार गुजरात में, एओ ने मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. का नि.वर्ष 2010-11 के लिए धारा 144(13)⁵⁸ के साथ पठित धारा 144सी(13) के अन्तर्गत फरवरी 2015 में ₹ 106.21 करोड़ और धारा 115जेबी के अन्तर्गत ₹ 160.04 करोड़ का अंकित लाभ मानते हुए निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि, संवीक्षा निर्धारण का अन्तिमीकरण करते हुए एओ ने ₹ 12.52 करोड़ की विवरणित हानि के प्रति आय के विवरण के अनुसार ₹ 125.17 करोड़ के रूप में व्यापार घाटे को माना था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.44 करोड़ की आय का अवनिर्धारण और ₹ 106.21 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.19 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण और संभावित कर ₹ 36.10 करोड़ शामिल है। मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2017)।

3.2.2.5 प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2 मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.वर्ष 2010-11 के लिए एओ ने मै. धनुष टेक्नोलॉजी लि. का निर्धारण अधिनियम की धारा 153सी⁵⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत मार्च 2016 में 6.28 करोड़ की आय पर पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारण पूरा करते समय एओ ने ₹ 31.94 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 6.28 करोड़ पर निर्धारित आय को माना था। अभिलेखों के अनुसार फरवरी 2013 में धारा 144 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत नियमित निर्धारण पूर्ण

57 ₹ 4,012.56 लाख = ₹ 769.82 लाख (नि.व. 2012-13) + ₹ 3,007.89 लाख (नि.व. 2013-14) + ₹ 234.85 लाख (नि.व. 2014-15)

58 धारा 144सी विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। जिसे अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में अन्तरण मूल्य से संबंधित विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में गठित किया गया है। निर्धारण पूर्ण करने और धारा 144 सी (13) के अनुसार करने के लिए डीआरपी एओ के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। एओ महीने के अन्त से एक महीने के भीतर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित है। जिसमें निर्धारित को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ऐसे निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।

59 आयकर अधिनियम की धारा 153सी उस व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति की आय के निर्धारण के साथ होता है जिसके मामले में खोज शुरू की गई है या खाते की पुस्तकों, अन्य दस्तावेज या संपत्तियों की माँग की गई है।

हुआ था और कर योग्य आय को ₹ 6.28 करोड़ पर माना गया था जिसे बाद में धारा 154 के अन्तर्गत अप्रैल 2015 में ₹ 25.65 करोड़ की वृद्धि करने के बाद ₹ 31.94 करोड़ पर सुधारा गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 25.66 करोड़ की आय का अवप्रभार हुआ और परिमाणतः ₹ 8.72 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने त्रुटि को स्वीकार किया (मई 2016) और बताया उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।*

3.2.2.6 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), गुडगांव प्रभार, हरियाणा में, नि. वर्ष 2013-14 के लिए एओ ने **मै. कुडोस केमी लि.** का निर्धारण अधिनियम की धाराओं 143(3) और 144⁶⁰ के साथ पठित धारा 153क(1)(ख) के अन्तर्गत ₹ 138.56 करोड़ की आय मानते हुए पूर्ण किया। लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारण पूर्ण करते समय, एओ ने त्रुटिवश ₹ 154.15 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 138.56 करोड़ की निर्धारित आय के रूप में गणना की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.13 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (फरवरी 2017)।*

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग

हम ऐसे तीन सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं:

3.2.3.1 प्र. सीआईटी नोएडा प्रभार उत्तर प्रदेश में, नि.वर्ष 2012-13 के लिए एओ ने **मै. डकृष बिल्डर्स प्रा. लि.** का संविक्षा निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 44.71 करोड़ की आय मानते हुए पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि कर माँग की गणना करते समय एओ ने संबंधित वित्तीय अधिनियम प्रावधानों के अनुसार अधिभार और अधिनियम की धारा 234ख के अन्तर्गत ब्याज की उद्ग्रहण नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.65 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने बताया (फरवरी 2017) कि धारा 154 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।*

60 आयकर अधिनियम की धारा 144 जहाँ करदाता द्वारा कर की विवरणी नहीं भरी है या उसके कर निर्धारण से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण प्रेषित करने के अनुसार करदाता का कोई सहयोग नहीं है या कर दाता की लेखा पुस्तिकाएँ विश्वसनीय नहीं हैं या अपूर्ण हैं वहाँ सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारित होता है।

आयकर अधिनियम की धारा 115 बीबीई (1) प्रावधान करती है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में आयकर की धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित कोई आय शामिल होती है वहां देय आयकर 30 प्रतिशत की दर पर धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित आय पर परिकलित आयकर की राशि का जोड़ होगा और शेष आय पर पर्याप्त आय कर की राशि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा उपधारा 2 प्रावधान करती है कि कोई छूट अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी प्रावधान में किया व्यय या छूट के संबंध में अनुमत नहीं की जाएगी।

3.2.3.2 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-गुडगाँव प्रभार, हरियाणा में, नि.वर्ष 2014-15 के लिए एओ ने मै. कुडोस कैमी लि. का निर्धारण धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153बी(1)(बी)⁶¹ और अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत फरवरी 2016 में ₹ 23.25 करोड़ की हानि मानते हुए पूर्ण किया। इसके बाद, धारा 115 बीबीई के अन्तर्गत ₹ 28.37 करोड़ की आय मानते हुए निर्धारण का सुधार (मई 2016) में किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि सुधार आदेश में कर देयता की गणना करते हुए अधिनियम की धारा 115बीबीई के अन्तर्गत ₹ 28.37 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी जो कि गलती से लागू सामान्य कर की दर 30 प्रतिशत के प्रति 18.50 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। कर देयताओं की गणना सही राशि ₹ 11.63 करोड़ के बजाय ₹ 4.81 करोड़ की गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.82 करोड़ की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का सुधार किया (सितम्बर 2016)।

3.2.3.3 प्र. सीआईटी-1 पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि. वर्ष 2013-14 के लिए मै. ड्यूक कॉरपोरेशन लि. का निर्धारण धारा 144(1) के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत ₹ 18.90 करोड़ की वृद्धि करने के बाद ₹ 2.49 करोड़ की आय मानते हुए मार्च 2016 में पूर्ण हुआ जिसमें अघोषित शेयर आवेदन धन होने पर आयकर अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 11.95 करोड़ की वृद्धि शामिल थी। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एओ ने अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 11.95 करोड़ की वृद्धि करने पर 30 प्रतिशत की दर पर कर लगाने की बजाय केवल ₹ 2.49 करोड़ की निर्धारित आय पर कर की उद्ग्रहण की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.07 करोड़ कर की कम उद्ग्रहण शामिल थी। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2017)।

61 आयकर अधिनियम की धारा 153बी सर्च निर्धारण की पूर्णता हेतु समय सीमा प्रदान करता है।

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हम ऐसे पांच सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्धारित दरों पर और निर्धारित समय अवधि के लिए आय की विवरणी का प्रेषण करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है। धारा 234बी निर्धारित दरों और निर्धारित समय अवधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज की उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है।

3.2.4.1 प्र. सीआईटी-13, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए प्रारंभिक रूप से मै. शिवान गिरि स्टील लि. निर्धारिती ने धारा 139(1) के अन्तर्गत संबंधित वर्षों के माह सितम्बर में विवरणियों को भरने की देय तिथि के भीतर आय की कोई विवरणी नहीं भरी। मार्च 2015 में धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस के बाद निर्धारिती ने मार्च 2016 में तीन निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी भरी थी और एओ, नीचे तालिका 3.2 में दिए गए विवरण के अनुसार मार्च 2016 में संविक्षा पश्चात प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु निर्धारण पूरा किया था:

तालिका 3.2: भरी गई विवरणियों का विवरण और पूर्ण निर्धारण						(₹ लाख में)	
नि. वर्ष	धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस की तिथि	विवरणी भरने की तिथि	निर्धारण करने की तिथि	विवरणीत आय	निर्धारित आय	धारा 234ए के अन्तर्गत उद्ग्रहीत ब्याज	धारा 234ए के अन्तर्गत उद्ग्रहीत ब्याज
2008-09	19-03-2015	29-03-2016	29-03-2016	शून्य	7,183.07	317.40	2,197.37
2009-10	19-03-2015	28-03-2016	28-03-2016	0.08	2,178.65	96.27	577.61
2010-11	19-03-2015	28-03-2016	28-03-2016	0.17	912.86	40.34	204.78

एओ ने अभीलेखों पर मौजूद सामग्री के आधार पर धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण के रूप में सभी तीनों वर्ष के लिए निर्धारण पूर्ण किया था। तथापि, नि. वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमशः 90 माह (अक्टूबर 2008 से मार्च 2016) 78 माह (अक्टूबर 2009 से मार्च 2016) और 66 माह (अक्टूबर 2010 से मार्च 2016) के स्थान पर प्रत्येक मामले में 13 माह के लिए (मार्च 2015 से मार्च 2016) विवरणियों को देरी से भरने के लिए ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप सभी तीनों वर्षों के लिए कुल ₹ 25.26 करोड़⁶² के

62 नि.व. 2008-09: ₹ 18.79 करोड़, नि.व. 2009-10: ₹ 4.81 करोड़ और नि.व. 2010-11: ₹ 1.64 करोड़

ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार किया (जनवरी 2017)।

3.2.4.2 प्र. सीआईटी-6 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण वर्षों 2009-10 और 2010-11 के लिए मै. बी.ए ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. के संविधा निर्धारणों को मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 33.53 करोड़ और ₹ 52.67 करोड़ आय मानते हुए पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती ने संबंधित निर्धारण वर्षों हेतु देय तिथि पर आय की विवरणी को नहीं भरा था जैसा कि अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित है और ना ही अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस के जवाब में आय की विवरणी भरी थी। चूंकि निर्धारिती ने दोनों वर्षों के लिए आय की विवरणी नहीं भरी थी इसलिए वह धारा 234ए के तहत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। कर माँग की गणना करते समय, एओ ने नि. वर्षों 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः ₹ 8.88 करोड़ (78 महीने के लिए) और ₹ 11.64 करोड़ (65 महीने के लिए) की उद्ग्रहण योग्य राशि के प्रति केवल 12 माह की अवधि के लिए ₹ 1.37 करोड़ और ₹ 53.71 लाख के ब्याज को उद्ग्रहित किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप नि. वर्षों 2009-10 और 2010-11 में धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 18.62 करोड़⁶³ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (जनवरी 2017)।

3.2.4.3 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली प्रभार में निर्धारण वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए मै. अल्ट्रा होम कन्सट्रक्शन प्रा. लि. का निर्धारण मार्च 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 73.36 करोड़, ₹ 133.97 करोड़ और ₹ 32.87 करोड़ की आयों को मानते हुए पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि कर माँग की संगणना करते समय, नि. वर्ष 2010-11 में धारा 234ए(3) के अन्तर्गत गलत ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था, जबकि नि. वर्षों 2011-12 और 2012-13 में धारा 234ए(3) के अन्तर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज राशियों को उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके अलावा, नि. वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में धारा 234बी(3) के अन्तर्गत ब्याज गलत प्रकार से प्रभारित की गई थी (जैसा कि तालिका 3.3 में नीचे दिशाया गया है)।

63 ₹ 18.62 करोड़ = ₹ 7.52 करोड़ (नि.व. 2009-10) + ₹ 11.10 करोड़ (नि.व. 2010-11)

तालिका 3.3: कम उद्ग्रहित ब्याज का विवरण							(₹ लाख में)
नि. वर्ष	धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज			धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज			कुल
	विभाग द्वारा उद्ग्रहित	उद्ग्रहण योग्य (लेखापरीक्षा अनुसार)	ब्याज का कम उद्ग्रहण	विभाग द्वारा उद्ग्रहीत	उद्ग्रहण योग्य (लेखापरीक्षा अनुसार)	ब्याज का कम उद्ग्रहण	
2010-11	38.90	78.10	39.20	863.68	937.24	73.56	112.76
2011-12	शून्य	198.64	198.64	1,312.16	1,986.35	674.19	872.83
2012-13	शून्य	40.94	40.94	313.86	327.51	13.65	54.59
कुल	38.9	317.68	278.78	2,489.70	3,251.10	761.4	1,040.18

इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 10.40 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और धारा 154 के तहत आदेश पारित कर जनवरी 2017 में गलतियों को सुधारा।

3.2.4.4 प्र. सीआईटी-भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, नि. वर्षों 2012-13 और 2013-14 के लिए मै. ग्रीन इन्डिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. का ब्लाक निर्धारण मार्च 2015 में धारा 144 के साथ पठित धारा 153बी के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 144.63 करोड़ और ₹ 74.58 करोड़ की आय को मानते हुए संवीक्षा उपरान्त पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती को नि. वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 11 सितम्बर 2013 और 02 मई 2014 को अधिनियम की धाराओं 153ए और 142(1)⁶⁴ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था। चूंकि निर्धारिती ने धाराओं 153ए और 142(1) के अन्तर्गत नोटिसों में निर्धारित तिथियों के भीतर आय की विवरणियाँ नहीं भरी थी इसलिए यह नि. वर्षों 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 19 महीने और 11 महीने⁶⁵ के लिए अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज भुगतान का दायी था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने केवल पाँच माह के लिए उक्त ब्याज का उद्ग्रहण किया था। उपरोक्त चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 8.02 करोड़⁶⁶ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई थी। आईटीडी ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटि को मार्च 2016 में सुधार लिया गया था। तथापि, सुधार आदेश की समीक्षा से पता चला कि नि. वर्ष 2012-13 के लिए 19 महीने के स्थान पर 11 महीने के लिए धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज वसूलते हुए आदेश पारित किया गया

64 आयकर अधिनियम की धारा 142(1) निर्धारण से पहले जाँच करने से सम्बंधित है। दस्तोवजों और निर्धारिती से ब्यौरा मागने के लिए और निर्धारण के अन्तर्गत एक विशेष मामला लेने के लिए धारा 142(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाता है।

65 निर्धारण की तिथि तक नोटिस में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद की तिथि से अवधि के लिए।

66 नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 6.57 करोड़ + नि.व. 2013-14 के लिए 1.45 करोड़

था। लेखापरीक्षा ने जनवरी 2017 में त्रुटि पर एक प्रत्युत्तर जारी किया जिसके संबंध में एओ ने प्रतिउत्तर दिया (फरवरी 2017) कि निर्धारिती को नोटिस दिये जाने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत पुनः ब्याज की गणना की जाएगी। उपचारात्मक कार्यवाही का आगामी विवरण अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 2017)।

धारा 234सी निर्धारित दरों पर और निर्धारित समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में दोष के कारण ब्याज की उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

3.2.4.5 प्र.सीआईटी-3, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि. वर्ष 2012-13 के लिए मै. आईटीसी लि. का निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 8,241.40 करोड़ की आय मानते हुए संवीक्षा उपरान्त पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 297.56 करोड़ की आवश्यकता के प्रति 15 जून 2011 से पहले केवल ₹ 265 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया था और इसलिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज भुगतान करने का उत्तरदायी था। तथापि, एओ ने, निर्धारण की संवीक्षा को पूरा करते समय, धारा 234सी के तहत किसी ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (जुलाई 2016)।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हम ऐसे दो सोदाहरण मामले नीचे देते हैं:

3.2.5.1 सीआईटी-एलटीयू बंगलूरू प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मै. विजया बैंक का निर्धारण, मार्च 2015 में धारा 143(3) के अन्तर्गत ₹ 1,101.93 करोड़ कर योग्य आय और ₹ 376.90 करोड़ कर चुकाने योग्य मानकर पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि धारा 154 (अप्रैल 2014) के अन्तर्गत हुए सुधार पर ₹ 36.88 करोड़ का प्रतिदाय उत्पन्न हुआ जिसे नि.वर्ष 2011-12 की बकाया माँग के प्रति समायोजित किया गया। तथापि, संवीक्षा निर्धारण पूर्ण करते समय (मार्च 2015) उक्त प्रतिदाय को नहीं माना गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.88 करोड़ की सीमा तक कर की कम गणना हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और धारा 154 के अन्तर्गत मार्च 2016 में त्रुटि का सुधार किया।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244ए(1)(क) प्रतिदाय की मंजूरी की तिथि से निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से निर्दिष्ट दर पर कर के अधिक भुगतान के कारण उत्पन्न प्रतिदाय की राशि पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, यह न्यायिक निर्णय लिया⁶⁷ गया है कि ब्याज पर ब्याज का भुगतान अनियमित है।

3.2.5.2 प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 1994-95 के लिए मै. हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमि. का संवीक्षा निर्धारण विभिन्न अस्वीकरणों के बाद ₹ 146.56 करोड़ की आय मानकर मार्च 1997 में पूरा किया जिसे धारा 254⁶⁸ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत अपीलीय आदेश को मानते हुए सितम्बर 2013 में ₹ 109.81 करोड़ तक कम कर दिया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सितम्बर 2013 में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए, नि.अ. ने धारा 244ए(1)(क) के अंतर्गत ₹ 5.30 करोड़ का ब्याज अनुमत किया जिसमें कुल वापसी योग्य राशि में पहले ही ब्याज पर ब्याज का भाग शामिल था। इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णय के विपरीत ब्याज पर ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ₹ 3.45 करोड़ के ब्याज की अधिक स्वीकृति दी गई। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मई 2015)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए निर्धारण में त्रुटियां

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दर्शाये हैं:

3.2.6.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, ₹ 94.09 करोड़ की बाजार हानि चिन्ह (एमटीएम)⁶⁹ हेतु प्रावधान पर राहत देने के बाद ₹ 20,156.18 करोड़ की आय निर्धारित कर अप्रैल 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि नि.अ. ने नि.व. 2010-11 में बाजार चिन्ह हानि (एमटीएम) हेतु प्रावधान के संबंध में ₹ 94.09 करोड़ की छूट के निर्धारिती के दावे को अस्वीकृत कर दिया जिसके प्रति निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की। इसी दौरान निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण के आधार पर 01.04.2010 को प्रावधान को पहले ही पलट दिया गया था, एओ ने नि.व.

67 सीआईटी बनाम गुजरात फ्यूओरो केमीकल्स - सर्वोच्च न्यायालय (2013)।

68 आयकर अधिनियम की धारा 254 में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश पास करने के लिए मानदंड और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रावधान है।

69 एमटीएम लेखाकरण या रिपोर्टिंग अवधि के अन्तिम दिन पर अपने बाजार मूल्य के आधार पर वित्तीय दस्तावेज में स्थिति रखने हुए निर्धारण मूल्य की एक पद्धति है। मार्क टू मार्केट हानि साधन के वास्तविक बिक्री मूल्य अपेक्षा लेखाकरण प्रविष्टि (जैसे जब वित्तीय साधनों को मौजूदा मार्केट मूल्य पर आंका जाता है) द्वारा होती है।

2011-12 के दौरान राशि हेतु राहत दी थी। तथापि, निर्धारिती को मई 2016 में सीआईटी (अपील) द्वारा पास किये गये आदेशों द्वारा राशि हेतु राहत प्रदान की गई थी। अपीलीय आदेश (मई 2016) को लागू करते हुए, निर्धारिती को निव. 2010-11 के दावे के संबंध में ₹ 94.09 करोड़ की छूट भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए दोबारा स्वीकृत की गई थी कि नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण के समय पर पहले ही राहत प्रदान की जा चुकी थी। इस प्रकार, एक ही प्रावधान के संबंध में निर्धारिती को दोहरी राहत (अप्रैल 2015, मई 2016) प्रदान की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 46.57 करोड़ कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 94.09 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है (अक्टूबर 2016)।*

3.2.6.2 प्र. सीआईटी-6 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 39.60 करोड़ की कुल आय पर मार्च 2001 में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए **मै. सिएट लि.** का निर्धारण पूरा किया जिसे पूर्व वर्षों से अग्रेषित की गई व्यापार हानि/दीर्घावधि पूंजीगत हानि के प्रति अन्य स्रोतों और लघु अवधि/दीर्घावधि पूंजीगत लाभ से आय को बट्टे खाते में डालने के अतिरिक्त शून्य आय पर मार्च 2002 में सुधारा गया था। इसके बाद निर्धारण को सीआईटी (अपील) और आईटीएटी द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को लागू करने के लिए और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार के लिए जुलाई 2003, सितम्बर 2011 मार्च 2012 और दिसम्बर 2012 में संशोधित किया गया था। इसके बाद सितम्बर 2011 में पास किये गये अपीलीय आदेश को लागू करने की लेखापरीक्षा जांच और पारित किये गये निर्धारण आदेशों से ज्ञात हुआ कि अपने सभी निर्धारण आदेशों में, एओ ने अन्य स्रोतों से ₹ 12.51 करोड़ के आय और ₹ 48.06 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ को शामिल करने में चूक की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 60.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने बताया (मार्च 2017) कि आय की गणना में चूक हुई थी और ₹ 60.57 करोड़ की कुल आय को आय का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था।*

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम निर्धारिती को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की अध्याय VI-क के अन्तर्गत कुल आय की गणना में और अपने संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की निश्चित श्रेणियों के लिए अनुमति देता है। हमने पाया

कि एओ ने अनियमित ढंग से लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का लाभ दिया था जो उक्त के हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएँ आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन में कमियों को उजागर करती हैं जिन्हें सुधारे जाने की आवश्यकता है। तालिका 3.4 में उप-श्रेणियाँ दर्शाई गई हैं जिसने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.4: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्यहास/व्यसाय हानि/पूँजीगत हानि में अनुमत करने में अनियमितताएँ	81	1,144.10	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ख. अनियमित छुट/कटौती/रियायत/ राहत/मैट क्रेडिट	19	166.45	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यावसायिक व्यय के गलत अनुमति	50	478.67	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।
कुल	150	1,789.22	

3.3.2 मूल्यहास एवं समंजन तथा व्यापार/पूँजीगत हानि अग्रणीत करना अनुमत करने में अनियमितता

नीचे ऐसे छः व्याख्यात्मक उदाहरण दर्शाये गये हैं:

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁷⁰ किया है कि निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण(बीओटी) परियोजनाओं के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधा के विकास पर निर्माण की लागत आयकर अधिनियम के तहत अनुमत व्यावसायिक व्यय के रूप में परिशोधित तथा दावा किया जाय। इसके अलावा, टोल रोड पर मूल्यहास के दावे के मामले का निर्णय लेते हुए, आईटीएटी मुम्बई ने माना⁷¹ किया कि धारा 32 (1) का प्रावधान भूमि के संबंध में पट्टे के अधिकार धारण करने वाले निर्धारित के मामले में लागू नहीं होगा जिस पर निर्माण किया गया था। मुम्बई उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2014 को घोषित अपने निर्णय में न्यायाधिकरण (2012 की आईटीए सं. 499) के निर्णय को बरकार रखा था।

3.3.2.1 प्रधान सीआईटी-1 बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 374.94 करोड़ की आय को अग्रणीत व्यावसायिक हानि/अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन के बाद 'शून्य' आय निर्धारित कर जनवरी 2014 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मैसर्स गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा

70 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 दिनांक 23-04-2014

71 मै. नॉर्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे लि. बनाम सीआईटी (आईटीए सं.3978/एमयूए/2010)

किया। निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए 3 सीडी रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारिती ₹ 339.25 करोड़ की व्यवसायिक हानि तथा ₹ 477.55 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास को आगे लाया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए ₹ 1,289.04 करोड़ की राशि की व्यवसायिक हानि तथा अनावशोषित मूल्यहास पहले ही संबंधित वर्ष के दौरान अनुमत किया गया था। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹ 374.94 करोड़ की अग्रणीत व्यावसायिक हानि एवं अनावशोषित मूल्यहास का समायोजन अनियमित था। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 166.89 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहाय वाले ₹ 374.94 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकृत किया (जुलाई 2017) तथा नवंबर 2016 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण की।*

3.3.2.2 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने दीर्घकालिक पूंजीगत हानि के अलावा हानि होने पर, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 501.24 करोड़ का नुकसान निर्धारित कर धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) के तहत मई 2015 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेस लि.** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एओ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 का नुकसान के भाग के रूप में निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंधित नुकसान को आगे लाए जाने पर, ₹ 250.86 करोड़ का नुकसान को गलती से शामिल किया था तथा इस प्रभाव का मौखिक आदेश पारित किया। इसके अलावा, जनवरी 2016 में अधिनियम की धारा 154 के तहत पास किये गए परिशोधन आदेश के अनुसार, एओ ने वर्तमान निर्धारण वर्ष 2011-12 के नुकसान के भाग के रूप में पहले निर्धारण वर्ष 2010-11 की अग्रणीत हानि मानते हुए निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कुल हानि ₹ 501.24 करोड़ ली थी जो सही नहीं था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 83.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले निर्धारण वर्ष 2010-11 के अंतिम निर्धारण आदेश से अग्रणीत हानि होने पर ₹ 250.86 करोड़ की हानि की स्फीत अनुमति हुई। *आईटीडी ने आपत्ति (मार्च 2017) को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि गलती को सुधारने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपचारात्मक कार्रवाई के आगे के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2017)।*

3.3.2.3 प्रधान सीआईटी प्रभार, दिल्ली में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 23.96 करोड़ (उपलब्ध व्यवसायिक आय तक) तथा विशेष प्रावधानों⁷² के तहत ₹ 317.31 करोड़ कर अग्रेणीत व्यवसायिक हानि के समंजन के बाद 'शून्य' पर मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इसके अतिरिक्त ₹ 39.35 करोड़ की आय अन्य स्रोतों से आय के रूप में भी निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने गलती से ₹ 230.04 करोड़ की सही आय के स्थान पर ₹ 63.49 करोड़ की हानि के रूप में सकल कुल आय प्रभाव वाली माना। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 54.15 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 166.91 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मई 2016)।*

आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) के लिए स्पष्टीकरण 5 के अनुसार, समग्र मूल्यहास उसी निर्धारण वर्ष में चाहे निर्धारिती ने दावा किया हो या नहीं की परवाह किये बिना अवशोषित किया जाना अपेक्षित है।

3.3.2.4 प्रधान सीआईटी-1 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, एओ ने आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ₹ 154.37 करोड़ की कटौती अनुमत करने के बाद सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 11.83 करोड़ पर आय निर्धारित कर फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **मैसर्स बारट्रोनिक्स इंडिया लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया तथा ₹ 135 करोड़ की पूर्ण वर्तमान मूल्यहास की कटौती किये बिना धारा 10बी के तहत कटौती अनुमत की गई थी। केवल ₹ 3.26 करोड़ की राशि कम की गई थी तथा ₹ 131.74 करोड़ की मूल्यहास की बकाया राशि अनावशोषित मूल्यहास के रूप में अग्रेणीत किए जाने के लिए अनुमत की गई थी। निर्धारिती को आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ₹ 22.37 करोड़ की स्वीकार्य कटौती के प्रति ₹ 154.10 की कटौती अनुमत की गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 44.78 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 131.74 करोड़ के मूल्यहास का अधिक अग्रेनयन हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी।*

72 धारा 115जेबी के अन्तर्गत

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁷³ किया कि निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण(बीओटी) परियोजनाओं के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर निर्माण की लागत आयकर अधिनियम के तहत अनुमत व्यवसायिक व्यय के रूप में परिशोधित की जाए तथा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारिती ने आरम्भिक वर्षों में बीओटी प्रोजेक्ट्स के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधाओं की प्रारम्भिक लागत में से कटौती का दावा किया है, वहाँ निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से निर्धारण वर्ष के लिए किये गए दावे की कुल कटौती विचाराधीन, सड़क/राजमार्गों की बुनियादी सुविधाओं की प्रारम्भिक लागत से कम की जाए तथा कम की गई लागत टोल रियायती करार की शेष अवधि में समान रूप से परिशोधित की जाएगी।

3.3.2.5 प्रधान सीआईटी-1 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, एओ ने आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 184.15 करोड़ की हानि नियत कर मार्च 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मैसर्स बेंगलोर एलिवेटेड टौलवे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 01 अप्रैल 2011 को ₹ 725.74 करोड़ पर केरिज मार्ग के अवलेखित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 181.43 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया था। उपरोक्त राशि के स्थान पर 15 वर्षों (2007-08 से 20 वर्षों की कुल अवधि में से) की शेष अवधि पर समान रूप से ऋण चुकता किया जाना चाहिए था जो ₹ 181.43 करोड़ के मूल्यहास जो अनुमत किया गया था के प्रति ₹ 48.38 करोड़⁷⁴ बनता था। मूल्यहास की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 43.17 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 133.05 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की।

3.3.2.6 सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने नि.व 2012-13 से संबंधित 37.21 करोड़ की अग्रेणीत व्यवसाय हानि और नि.व 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित ₹ 83.12 करोड़ की आगे लाई गई हानियों का समंजन करने के बाद, जैसा ऐसी हानियों की उपलब्धता अभिनिश्चित किए बिना दावा किया गया ₹ 57.58 लाख के अंकित लाभ और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य आय पर अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत मार्च 2016 में नि.व 2014-15 के लिए मै. डीप वाटर सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के निर्धारण रिकार्डों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एओ ने निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹ 20.42 करोड़ तथा ₹ 42.41 करोड़ की निर्धारित

73 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 दिनांक 23/04/2014

74 ₹ 48.38 करोड़ = ₹ 725.74 करोड़/ 15

आय नियत की तथा उस रूप में इन दो निर्धारण वर्षों में कोई नुकसान नहीं था। निर्धारण वर्ष 2014-15 में अनुचित समायोजन एवं आगे लाए गए गैर विद्यमान नुकसान के परिणामस्वरूप उस सीमा ₹ 12.65 करोड़ के कर की अल्प उद्ग्रहण तथा ₹ 28.25 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अप्रैल 2017) को स्वीकार किया है तथा बताया कि उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगे के विवरण प्रतीक्षित (जुलाई 2017) हैं।

3.3.3. अनियमित छूट/कटौतियां/कर छूट/राहत/मैट क्रेडिट

हम नीचे चार ऐसे सोदाहरण मामले दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए एक निर्धारिती को मैट का क्रेडिट अग्रेनयन के लिए अनुमत करती है जब कर देय सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों से अधिक हो। तथापि ऐसा क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर तथा विशेष प्रावधानों के तहत, के अन्तर तक सीमित होगा।

3.3.3.1 प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर प्रभार, में एओ ने ₹ 1,090.35 करोड़ पर आय नियत कर फरवरी 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि. (नालको) का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1,109.76 करोड़ पर कुल आय नियत कर फरवरी 2015 में पूरा किया गया था। क्योंकि कुल आय सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई थी, इसलिए अग्रेनयन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। तथापि, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा करने के दौरान, एओ ने आय की रिटर्न में निर्धारिती द्वारा किये गए दावे अनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में ₹ 53.04 करोड़ के मैट क्रेडिट को अनुमत किया था। इस गलती के परिणामस्वरूप मैट क्रेडिट की अनियमित मंजूरी हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 71.61 करोड़ के कर की अल्प उद्ग्रहण शामिल थी। आईटीडी ने बताया (फरवरी 2017) कि आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत प्रावधानों का उपयोग करते हुए उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आगे के विवरण प्रतीक्षित (जुलाई 2017) हैं।

धारा 80-आईबी(11ए) में प्रावधान है कि प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष के आरम्भ कर पांच निर्धारण वर्ष के लिए फलों अथवा सब्जियां अथवा मांस अथवा मांस के उत्पाद अथवा पोल्ट्री अथवा मेरिन अथवा डेयरी उत्पाद की प्रोसेसिंग, संरक्षण तथा पैकेजिंग या एककीकृत व्यवसाय की हैंडलिंग, स्टोरेज तथा खाद्य अनाज के परिवहन के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रम को लाभ तथा अधिलाभ की 100 प्रतिशत कटौती अनुमत है।

3.3.3.2 प्रधान सीआईटी-2 बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए **मैसर्स मनपसंद बेवरेजेस प्राइवेट लि.** के संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत क्रमशः ₹ 7.04 करोड़ तथा ₹ 8.08 करोड़ तथा धारा 115 जेबी के तहत क्रमशः ₹ 6.62 करोड़ तथा ₹ 24.72 करोड़ की आय नियत कर अक्टूबर 2015 तथा मार्च 2016 में पूर्ण किए गए थे। निर्धारिती ने फ्रूट जूस के विनिर्माण तथा प्रसंस्करण के व्यवसाय के लिए धारा 80-आईबी (11ए) के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹ 6.31 करोड़ तथा ₹ 9.69 करोड़ की कटौती का दावा किया तथा अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने इन निर्धारण वर्षों के दौरान फ्रूट जूस के विनिर्माण तथा प्रसंस्करण के लिए व्यवसाय नहीं किया तथा इसके स्थान पर केवल कच्चे माल के रूप में आम का पल्प का प्रयोग किया था। इसप्रकार, उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अनुमत कटौतियां सही नहीं थीं। निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹6.31 करोड़ तथा ₹9.69 करोड़ की अनुचित कटौती की गलत अनुमती के परिणामस्वरूप ₹ 16 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 7.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जुलाई 2017) और मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 263 के तहत जारी नोटिस द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई सूचित की।*

3.3.3.3 सीआईटी कोटा प्रभार, राजस्थान में, एओ ने मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स मंगलम सीमेंट लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 103.65 करोड़ की आय तथा ₹ 7.39 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत करने के बाद उस पर ₹ 26.24 करोड़ की कर मांग पर पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2011-12 (मार्च 2014) के संवीक्षा निर्धारण के बाद अग्रेनयन के लिए ₹ 6.91 करोड़ का मैट क्रेडिट उपलब्ध था जिसमें से ₹ 4.52 करोड़ का क्रेडिट, मार्च 2015 में धारा 154 के तहत निर्धारित, निर्धारण वर्ष 2012-13 के निर्धारण के दौरान अनुमत किया गया था। इसप्रकार, केवल ₹ 2.39 करोड़ का मैट क्रेडिट निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत ₹ 7.39 करोड़ की बजाय निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान समायोजन

के लिए उपलब्ध था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5 करोड़ तक कर का अवप्रभार हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया (अक्टूबर 2016)।*

3.3.3.4 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारित आय की सीमा तक ₹ 10.89 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन की अनुमति देने के बाद 'शून्य' आय पर मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स वेलस्पन सिनटेक्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर ₹ 16 करोड़ के बही लाभ पर धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत परिकलित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती की निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा 2009-10 के संबंध में ₹ 8.43 करोड़ के अग्रोनयन अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन की अनुमति देने के बाद निर्धारण वर्ष 2012-13 में सामान्य परिकलन के तहत ₹ 6.61 करोड़ की धनात्मक आय थी। उस रूप में, निर्धारण वर्ष में 2013-14 में, ₹ 10.89 करोड़ की निर्धारित आय के प्रति समायोजन के लिए कोई अनावशोषित मूल्यहास उपलब्ध नहीं था। अनावशोषित मूल्यहास के अनियमित समायोजन तथा **मैट** प्रावधानों के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ के **मैट** क्रेडिट के अधिक अनुमति सहित ₹ 3.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 10.89 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ तथा सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 33.03 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ था। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती का सुधार किया था (जुलाई 2016)।*

3.3.4 व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति

हम नीचे ऐसे नौ निदर्शी मामले दे रहे हैं:

अधिनियम की धारा 37(1) का स्पष्टीकरण अनुबंधित करता है कि किसी प्रयोजन के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय जो विधि द्वारा एक अपराध अथवा निषिद्ध है, को व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मैसर्स नोर्दन इंडिया केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन लि. बनाम सीआईटी [2001] 248 आईटीआर 790 (दिल्ली) के मामले में क्षति के लिए सिविल कार्रवाई में किये गए निपटान की गई राशि के माध्यम से निदेशक के गलत आचरण के लिए भुगतान की क्षति की अस्वीकृति को बरकरार रखा।

3.3.4.1 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 250.38 करोड़ की हानि नियत कर मई 2005 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया तथा अपवाद मर्दों

के शीर्ष के अंतर्गत 'क्लास एक्शन कम्प्लेंट' निपटान के कारण लाभ तथा हानि लेखा के ₹ 569 करोड़ की राशि अनुमत की गई थी। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फॉर्म 3सीडी) में, लेखापरीक्षक ने आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती के रूप में इन व्ययों को अर्हक माना तथा इस प्रकार से कर के प्रयोजनार्थ कटौती के लिए अयोग्य थे। आगे यह पता चला कि कम्पनी को कम्पनी लेखा बही में वित्तीय अनियमिताओं के प्रति धोखाधड़ी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने निवेशकों को ₹ 569 करोड़ के क्लास एक्शन सेटलमेंट कन्सिडरेशन का भुगतान करना पड़ा था जो संवीक्षा निर्धारण के दौरान विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। क्योंकि सेटलमेंट कन्सिडरेशन्स का भुगतान निर्धारिती कम्पनी के धोखाधड़ी कार्य के लिए दंडात्मक हर्जाने के रूप में भुगतान था, इसलिए यह उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं था। अस्वीकार्य कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 569 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 189 करोड़ तक कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान बैंकिंग इंडस्ट्री के मामले में एक इंडियन कम्पनी की कुल आय के 7.5 प्रतिशत तथा विदेशी कम्पनी के मामले में कुल आय के 5 प्रतिशत की दर पर अनुमत है। यह सीबीडीटी के दिनांक 26 नवंबर 2008 के परिपत्र सं. 17 में स्पष्ट किया गया था कि यह प्रावधान अथ शेष होगा तथा वास्तविक रूप से बढ़े खाते डाले गये संदिग्ध एवं अशोध्य ऋण जमा के प्रति प्रथम समायोजन होगा तथा शेष तथा इससे अधिक यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 36(2) के साथ पठित धारा 36(1)(vii) के तहत अनुमेय है।

3.3.4.2 प्रधान सीआईटी(आईटी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने मार्च 2013 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 3,783.11 करोड़ पर आय नियत कर मैसर्स स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 261.91 करोड़ के अशोध्य ऋण का दावा किया था। ऐसा फाईल रिटर्न के अनुसार ₹ 103.18 करोड़ के अशोध्य ऋण के प्रावधानों में अथ क्रेडिट शेष समायोजन करके तथा धारा 36 (1)(VII) के तहत ₹ 158.73 करोड़ के निवल अशोध्य ऋण में शेष का दावा करके किया गया था जिसे एओ द्वारा अनुमत किया गया था। बढ़े खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति समंजन हेतु उपलब्ध अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान में वास्तविक अथ जमा शेष ₹ 190.85 करोड़ था। इस प्रकार केवल एओ द्वारा अनुमत ₹ 158.73 करोड़ के प्रति ₹ 71.06 करोड़ की राशि धारा 36(1)(VII) के तहत कटौती योग्य थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 87.67 करोड़ के अशोध्य ऋण की अधिक अनुमति हुई जिसके परिणामस्वरूप

₹ 37.02 करोड़ के कर प्रभाव वाली उतनी राशि का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया (जून 2016) कि मार्च 2016 में धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) में अनुबंधित है कि व्यवसाय से आय की संगणना करने में, एक निर्दिष्ट सत्व द्वारा सृजित एवं अनुरक्षित किसी विशेष रिजर्व के संदर्भ में कटौती अनुमत है। अनुमेय कटौती की राशि कम से कम i) गत वर्ष के दौरान विशेष रिजर्व लेखा को हस्तांतरित राशि ii) वर्ष के दौरान योग्य व्यवसाय से आय का 20 प्रतिशत अथवा iii) गत वर्ष के पहले दिन से विशेष रिजर्व लेखा के बकाया से कम प्रदत्त पूंजी के 200 प्रतिशत होनी चाहिए।

3.3.4.3 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 22,210.40 करोड़ की आय नियत कर मार्च 2015 में **मैसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ₹ 750 करोड़ पूर्व वर्ष के दौरान धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व को अंतरित किया गया था। तथापि एओ ने इस आधार पर निर्धारिती द्वारा किया गए दावे के अनुसार ₹ 833.68 करोड़ की कटौती अनुमत की थी कि अधिनियम में कोई भी ऐसा प्रावधान स्पष्ट नहीं था जो यह बताये कि रिजर्व संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ हानि लेखा को डेबिट से किया जाना चाहिए। यह सही नहीं है क्योंकि अधिनियम धारा 36(1)(viii) के प्रयोजनार्थ सृजित विशेष रिजर्व लेखा को पूर्व वर्ष के दौरान अन्तरित राशि तक कटौती की राशि को सीमित करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 27.14 करोड़ के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 83.68 करोड़⁷⁵ की कटौती की अधिक अनुमति हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) में प्रावधान है कि जहाँ निर्धारिती द्वारा घोषित नुकसान के संबंध में किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अथवा कटौती की गई है तथा इसके पश्चात यह राशि किसी पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त होती है तब वसूल की गई आय को प्रमार्य लाभ के रूप में माना जाना चाहिए।

3.3.4.4 सीआईटी जयपुर-2 प्रभार, राजस्थान में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1,407.74 करोड़ की आय नियत कर फरवरी 2015 में **स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने कर योग्य आय से 'बट्टे खाते में वसूली' के रूप में ₹ 37.61 करोड़ की कटौती का दावा किया जो अनुमत की गई थी। यह उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं थी तथा कर योग्य थी। चूक के परिणाम

75 ₹83.68 करोड़ = ₹833.68 करोड़ - ₹750 करोड़

स्वरूप ब्याज सहित ₹ 15.01 के कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 37.61 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ था। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, कोई व्यय पूंजीगत व्यय अथवा वैयक्तिक व्यय की प्रकृति में होने पर व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ एवं अभिलाभ शीर्ष के तहत प्रभारित आय को परिकलित करने में अनुमत नहीं किया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने सीबा इंडिया लि. बनाम सीआईटी के मामले में माना कि जहाँ निर्धारिती ने अतिरिक्त फार्मसूटिकल सामान विनिर्माण के लिए नया प्लांट स्थापित किया था वहाँ यात्रा व्यय, स्टॉफ के प्रशिक्षण व्यय आदि पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थे।

3.3.4.5 सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए ₹1,779.04 करोड़ की हानि नियत कर जनवरी 2014 में **मैसर्स टाटा मोटर्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 'नैनो प्रोजेक्ट' के संबंध में वेतन, स्टॉफ कल्याण व्यय, यात्रा तथा वाहन, होटल व्यय आदि के प्रति ₹ 43.83 करोड़ के कुल व्यय का दावा किया था, जिसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया था। तथापि उसी राशि का दावा किया गया था जिसे आय के संगणन में आयकर के प्रयोजनार्थ राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किया गया था। क्योंकि सिंगूर में 'नैनो प्रोजेक्ट' पूर्णतया एक नया प्रोजेक्ट था तथा न कि किसी विद्यमान के विस्तार रूप में, इसलिए व्यय पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.90 करोड़ के प्रभावी संभाव्य कर वाली ₹ 43.83 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारी कार्रवाई (जुलाई 2016) की।

3.3.4.6 प्रधान सीआईटी-1, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए विभिन्न व्ययों की अस्वीकृति के बाद ₹ 282.14 करोड़ की हानि नियत कर मार्च 2016 में **मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल)** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती मैट के प्रावधान के तहत ₹ 1,322.72 करोड़ के अंकित लाभ पर कर का दायी योग्य था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने वर्तमान निवेश की बिक्री पर हानि के कारण लाभ एवं हानि लेखा का ₹ 35.53 करोड़ डेबिट किया था जो व्यवसायिक व्यय के रूप में अनुमत किया गया था। यह भी पता चला कि ये निवेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्न लागत पर उत्पादों की बिक्री के कारण हानि को पूरा करने के लिए पूर्व वर्षों में निर्धारिती को भारत सरकार द्वारा जारी बॉण्ड्स के रूप में थे। चूंकि ऐसे बॉण्ड की बिक्री/परिशोधन प्रकृति में पूंजीकृत था, इसलिए इसे उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत करना अपेक्षित था। निर्धारण वर्ष

2006-2007 तथा 2007-08 के लिए मैसर्स एचपीसीएल के इसी प्रकार के मामलों में, विभाग ने ऑयल बांडस की बिक्री पर लाभ/हानि को पूंजीगत अभिलाभ हानि के रूप में माना था तथा निर्धारण वर्ष 2006-07 में सीआईटी(अपील) द्वारा समर्थित था। पूंजीगत व्यय की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 11.53 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण शामिल करते हुए 35.53 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचारी कार्रवाई की गई है।*

एक उपार्जित अथवा ज्ञात देयता के लिए केवल लेखाओं में किया गया अनंतिम प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है।

3.3.4.7 प्रधान सीआईटी-1, बडौदा प्रभार, गुजरात में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए जनवरी 2014 में ₹ 269.90 करोड़ के व्यवसायिक नुकसान तथा ₹ 17.90 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास के अग्रनयन के समायोजन के बाद 'शून्य' आय नियत कर **मैसर्स गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 374एमडब्ल्यू उत्तरान गैर आधारित पॉवर प्लांट के अनुरक्षण के लिए दीर्घकालिक सेवा संविदा करार के प्रति प्रावधान के रूप में ₹ 31.68 करोड़ का दावा किया था जिसे अनुमत किया गया था। चूंकि व्यय केवल एक प्रावधान था तथा न कि सुनिश्चित देयता, इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तथा वापस निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.52 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹31.68 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ था। *आईटीडी ने दिसंबर 2016 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत आदेश पारित कर उपचारी कार्रवाई की।*

यह न्यायिक रूप से निर्णीत⁶ किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश आयकर अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते हैं।

3.3.4.8 प्रधान सीआईटी-2 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडू में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 2,801.94 करोड़ की आय नियत कर मार्च 2016 में मैसर्स इंडियन बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियों के 'वर्गीकरण मूल्यांकन और प्रचालन सूची के प्रचालन' के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, पर

76 मैसर्स तमिनाडू पॉवर फाईनेंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिविलोपमेंट कार्पोरेशन लि. बनाम जेसीआईटी (280 आईटीआर 491 मद्रास उच्च न्यायालय)

आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत धारित निवेश पर ₹31.90 करोड़ के प्रीमियम के परिशोधन का दावा किया था जिसे अनुमत किया गया था तथा उसे 'निवेशों पर आय' से एक कटौती के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। क्योंकि एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में माना नहीं किया गया था तथा जो पूंजीकृत प्रकृति के थे इसलिए एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधन का दावा आयकर अधिनियम के तहत अनुमत नहीं था। इसे अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.35 करोड़ के कर की कम वसूली वाले ₹ 31.90 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति हुई। आटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

3.3.4.9 प्रधान सीआईटी, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 15.67 करोड़ की आय निर्धारित करने में मार्च 2016 में **मैसर्स** ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के बावजूद पेंशन निधि के प्रति उपरोक्त देयता में से ₹ 77.01 करोड़ की कटौती का दावा किया था जो अनुमत की गई थी, ₹ 49.15 करोड़ की राशि का 2012-13 में भुगतान किया गया था तथा ₹ 27.86 करोड़ जिसका भुगतान नहीं किया गया था, को आयकर अधिनियम की धारा 43बी के तहत अनुमति अपेक्षित नहीं थी। गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 27.86 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनः निर्धारण के लिए उपचारी कार्रवाई आरम्भ की।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से वास्तव में प्राप्त अथवा व्युत्पन्न अथवा प्राप्त अथवा उपचित हुई सभी आय शामिल होगी। हमने देखा कि एओ ने कुल आय निर्धारित नहीं की/कम आय निर्धारित की जिसे कर के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तालिका 3.5 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप निर्धारणों से आय बच गई।

तालिका 3.5: चूक के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. विशेष प्रावधानों के तहत कम निर्धारित/निर्धारित नहीं की गई आय	1	2.06	महाराष्ट्र
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत कम निर्धारित/निर्धारित नहीं की गई आय	14	136.71	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	4	7.60	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडू
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान	8	43.68	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं पं. बंगाल.
ङ. अघोषित निवेश/नकद क्रेडिट	4	799.78	गुजरात, महाराष्ट्र तथा पं बंगाल
कुल	31	989.83	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं की गई/कम निर्धारित आय

हम ऐसे एक मामला सोदाहरण नीचे देते हैं:

अधिनियम की धारा 115 जेबी अंकित लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है यदि सामान्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित कुल आय पर देय आयकर मैट से कम है। धारा 115जेबी के तहत स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अंकित लाभ से अभिप्राय निश्चित वृद्धियों/कमी के अध्यक्षीन सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में दर्शाये गए निवल लाभ से है। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम 2011 के अनुसार, धारा 115 जेबी के स्पष्टीकरण 1 के नीचे यथा परिभाषित अंकित लाभ को उसके उप खण्ड (iv), (v) तथा (vi) में यथा निर्दिष्ट उस पर गणना के रूप में धाराओं 80एचएचसी, 80एचएचई तथा 80 एचएचएफ के संबंध में किसी कटौती को अप्रैल 2005 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निकालने के लिए संशोधित किया गया है।

3.4.2.1 प्रधान सीआईटी-15, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए उपलब्ध आय की सीमा तक अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास का समायोजन अनुमत करने के बाद शून्य आय पर अप्रैल 2014 में मैसर्स वानबरि लि. का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया तथा न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के विशेष प्रावधानों के तहत कर की गणना की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने धारा 80एचएचसी (1बी) के तहत ₹ 12.11 करोड़ की कटौती का दावा किया जो अनुमत की गई थी परन्तु वह सही नहीं था। उपरोक्त संशोधन को ध्यान को रखते हुए, एओ को कटौती अनुमत नहीं करनी चाहिए थी। उसे वापिस जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा करने की चूक के

परिणामस्वरूप चूक ₹ 2.06 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण वाले उतने अंकित लाभ का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गई/कम निर्धारित आय हमने ऐसे छः सोदाहरण मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 115 बीबीडी के अनुसार, जहाँ एक निर्धारिती की कुल आय में एक भारतीय कम्पनी होने पर, एक निर्दिष्ट विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा प्रदत्त लाभांश से आय शामिल होती है, वहाँ देय आयकर पंद्रह प्रतिशत की दर पर ऐसे लाभांश से आय पर परिकल्पित आयकर-कर की कुल राशि होगा तथा आयकर की राशि जो निर्धारिती से प्रभार्य होगी, लाभांश के रूप में उपरोक्त आय तक उसकी कुल आय से कम की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक संवीक्षा निर्धारण में, एओ को निर्धारिती के कुल लाभ अथवा हानि का सही निर्धारण करना तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा प्रतिदेय उचित राशि निर्धारित करना अपेक्षित है।

3.4.3.1 प्रधान सीआईटी -4 प्रभार, दिल्ली में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1,141.18 की आय तथा उस पर ₹ 343.28 करोड़ का कर निर्धारित कर फरवरी 2016 में मैसर्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस लि. का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण पूरा करने के दौरान, एओ ने निर्धारिती की आय में इस तथ्य के बावजूद ₹ 166.28 करोड़ की लाभांश आय⁷⁷ को नहीं जोड़ा था कि निर्धारिती ने अपनी रिटर्न में स्वयं उपरोक्त आय पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर कर की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 370.25 करोड़ की ठीक ढंग से उद्ग्रहण राशि के बजाय, ₹ 1,141.18 करोड़ की निर्धारित आय पर कर ₹ 343.28 करोड़ लगाया गया था। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 53.95 करोड़ की कम उद्ग्रहण वाली ₹ 166.28 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2017) तथा धारा 154 के तहत गलती में सुधार (फरवरी 2017) किया।

अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय कुल आय में शामिल की जाएगी जो ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है अथवा जो उपचित होती है अथवा उपचित हुई मानी जाती है जब तक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

3.4.3.2 प्रधान सीआईटी-1 भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 108.95 करोड़ हानि निर्धारित कर मार्च 2015 में

77 अधिनियम की धारा 155बीबीडी के तहत इस आय पर 15 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित था।

मैसर्स नोर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनी ऑफ ओडिशा (एनईएससीओ) का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने “ओईआरसी द्वारा भावी टैरिफ निर्धारणों से वसूल की जाने वाली आय” के प्रति अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 79.32 करोड़ क्रेडिट किया। तथापि आय की संगणना में इसे “ओईआरसी द्वारा भावी टैरिफ निर्धारणों के प्रति नियामक मामलों से आय” के रूप में कम किया गया था। चूंकि अधिनियम ऐसी आय की कटौती अथवा छूट का प्रावधान नहीं करता है और चूंकि यह आय भविष्य में प्राप्य थी इसलिए छूट के रूप में इस आय की अनुमति सही नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 79.32 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 25.73 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। *आइटीडी ने आपत्ति स्वीकार करली और उपचारी कार्रवाई आरम्भ कर दी (फरवरी 2017)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (iiiबी) के अंतर्गत, भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत निर्यात के प्रति किसी भी व्यक्ति को प्राप्त या प्राप्त होने वाली नकद सहायता (चाहे किसी भी रूप में हो) व्यापार या व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आयकर को प्रभार्य होगी।

3.4.3.3, प्र. सीआईटी-2, मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2011-12 के लिए मार्च 2014 में मै. नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आगामी नि.व. में ₹ 13.60 करोड़ के टैक्स क्रेडिट के अग्रनयन को अनुमत करते हुए पूर्ण किया। निर्धारिती कंपनी ने सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के अंतर्गत अपनी निर्यात आय पर अर्जित ₹ 4.90 करोड़ का ड्यूटी स्क्रिप⁷⁸ लाभ और हानि लेखा में क्रेडिट किया था और उसका उपयोग पूंजीगत वस्तुओं और कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया। निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय, एओ ने ड्यूटी स्क्रिप को पूंजीगत प्राप्ति माना और उसे निर्धारिती द्वारा दावा की गई करधान योग्य आय में से घटा दिया। अधिनियम की धारा 28 (iiiबी) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 4.90 करोड़ का ड्यूटी स्क्रिप पर से राजस्व प्राप्ति के रूप में मानते हुए कर लगाना चाहिए था। ऐसा करने से विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर देयता ₹ 13.65 करोड़ बनती थी जिससे सामान्य प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित ₹ 13.60 करोड़ की कर देयता बढ़ जाती। इस गलती के

78 शुल्क स्क्रिप वह स्कीप है जो महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी की जाती है और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये स्क्रिप विदेश व्यापार नीति में वर्णित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं के निर्मातकों के साथ-साथ सेवा के निर्यातकों को भी जारी की जाती है।

परिणामस्वरूप ₹ 13.65 करोड़ का कर कम लगाया गया जिसमें ₹ 13.60 करोड़ के मैट क्रेडिट का अनियमित अग्रोनयन भी शामिल है। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा दिसम्बर 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारी कार्रवाई की।

3.4.3.4 सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1 दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2011-12 के लिए नवम्बर 2014 में अधिनियम की धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत मै. अमाडियस आईटी ग्रुप एसए का संवीक्षा निर्धारण ₹ 305.16 करोड़ की आय और उस पर ₹ 128.87 करोड़ के कर का निर्धारण करके पूर्ण किया। निर्धारण आदेश में, कर योग्य आय की गणना दो प्रकार से की गई उदाहरणार्थ स्थायी स्थापना (पीई) पर उदग्रहाय लाभ के रूप में ₹ 305.16 करोड़ की राशि (42.23 प्रतिशत की दर से कर योग्य) तथा भारत से होने वाली बुकिंग के संबंध में सकल बुकिंग राजस्व के रूप में ₹ 79.37 करोड़ (10 प्रतिशत की दर पर कर योग्य)। चूंकि कर देयता पीई को उदग्रहाय लाभों के संबंध में अधिक थी इसलिए कर योग्य आय ₹ 305.16 करोड़ निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 7.66 करोड़ (₹ 63.8429 की दर से 12,000,000 यूरो) की आय ब्रिटिश एयरवेज़ द्वारा अल्टिया सिस्टम के प्रयोग से राजस्व के रूप में कर योग्य आय में शामिल की जानी अपेक्षित थी तथा 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए था। तथापि, यह राशि न तो पीई पर उदग्रहाय लाभों में शामिल की गई और ना ही इस पर कोई कर लगाया गया। इस भूल के परिणामस्वरूप ₹ 76.61 करोड़ की आय का अल्प निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 11.03 करोड़ का कम उदग्रहण शामिल था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत भूल सुधारी (6 जनवरी 2016)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ओ किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2(22)(डी) के अंतर्गत एक कंपनी के द्वारा उसकी पूंजी में हास होने पर उसे शेयर धारकों को किया गया कोई भी वितरण लाभांश कहलाता है, जिसमें कंपनी के पास संचित लाभ हो चाहे वे संचित लाभ पूंजीकृत किये गये हो या नहीं, लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारक से अपने शेयरों की खरीद पर कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इसमें शामिल नहीं होता है।

3.4.3.5 सीआईटी-4, चेन्नई प्रभार तमिलनाडू में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2012-13 के लिए मार्च 2015 में ₹ 58.03 लाख की कुल हानि पर मै. मायाजाल एंटरटेन्मेंट लिमि. का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। कंपनी ने

मै. पेंटामीडिया ग्राफिक्स प्रा. लिमि. से निपटान के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनी में 48.71 प्रतिशत के शेयर अपने पास रखकर, ₹ 59.07 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान कर ₹ 10 के इक्विटी शेयर ₹ 45 प्रति शेयर के मूल्य पर 1,68,77,800 शेयर वापस खरीदे। ₹ 59.07 करोड़ के प्रीमियम राशि में से, निर्धारिती ने ₹ 39.89 करोड़ के सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट के प्रति और शेष ₹ 19.18 करोड़ लाभ और हानि लेखा के अनुसार अधिशेष के प्रति अधिनियम की धारा 2(22)(डी) के अंतर्गत मै. पेंटामीडिया ग्राफिक्स प्रा. लिमि. के लाभ के वितरण के प्रति समायोजित किया। चूंकि शेयरों की वापस खरीद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के प्रावधानों के अंतर्गत आती नहीं थी, इसलिए धारा 115-ओ के अंतर्गत लाभांश वितरण पर कर देय था। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 115पी के अंतर्गत उस पर लगाये जाने वाले कर को छोड़कर ₹ 3.19 करोड़ का लाभांश वितरण कर नहीं लगाया गया। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।

3.4.3.6 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-8(3), मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 14.10 करोड़ की कुल हानि पर मै. लोखंडवाला कटारिया कंसल्टिंग प्रा. लिमि. का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। प्रॉपर्टी डवलपमेंट के व्यवसाय में संलग्न निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 के संबंध में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वर्ष के दौरान ₹ 323.09 करोड़ के ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अर्थात् नि.व. 2012-13 के क्लोजिंग वर्क-इन-प्रोग्रेस (डब्ल्यूआईपी) में ₹ 224.68 करोड़ के व्यय को जोड़कर ₹ 547.77 करोड़ दर्शाया। निर्धारण अधिकारी ने पिछले निर्धारण वर्ष 2012-13 के क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को उस वर्ष की निर्धारण कार्रवाई में निर्धारिती द्वारा दावा किए गये ₹ 323.09 करोड़ के प्रति ₹ 313.40 करोड़ तक सीमित कर दिया। इस प्रकार निर्धारण में यथा अनुमत वर्ष के दौरान किए गए ₹ 224.68 करोड़ के व्यय को जोड़ने के पश्चात ₹ 547.77 करोड़ के स्थान पर वर्तमान नि.व. 2013-14 के संबंध में सही क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की गणना ₹ 538.08 करोड़ की गई। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की सही राशि की गणना में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.15 करोड़ का संभाव्य कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार (मार्च 2017) किया, लेकिन इस पर आरंभ की गई सुधार कार्रवाई अभी प्रतीक्षित (जुलाई 2017) है।

3.4.4 पूंजीगत लाभों की गलत गणना/वर्गीकरण

हमने तीन सोदाहरण मामले नीचे प्रस्तुत किए हैं:

धारा 50 यह प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती अपनी परिसंपत्तियाँ बेचकर परिसंपत्तियों का समूह (भवन, मशीनरी आदि) का निर्माण करता है, जिन पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास अनुमत है, तो ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियों से अर्जित आय (अर्थात् डब्ल्यूडीपी तथा सेल्स कंसीडरेशन में अंतर) को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा।

3.4.4.1 प्र.सीआईटी, वलसाड प्रभार, गुजरात में, नि.अ. ने नि.व. 2012-13 के लिए जनवरी 2015 में **मै. अवि ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.29 करोड़ की कुल आय निर्धारित कर पूर्ण किया। निर्धारिती ने फैक्टरी इमारत बेचकर ₹10.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस प्रकार प्राप्त अभिलाभ का दावा 'फैक्टरी इमारत' ब्लॉक के आधार पर कर गैर-करयोग्य आय के रूप में किया जो कि 31.03.2012 तक सकारात्मक रहा। निर्धारिती ने 'फैक्टरी इमारत' ब्लॉक के अंतर्गत जनवरी 2012 में ₹11.03 करोड़ का एक नया भवन खरीदा दर्शाया। तथापि, इस प्रकार के किसी भवन की खरीद नहीं हुई क्योंकि निर्धारिती ने जिस भवन खरीदने का समझौता किया था वह निर्माणाधीन था। इस प्रकार, खरीदा हुआ दर्शाया गया भवन परिसंपत्ति ब्लॉक का भाग नहीं था और इसलिए ₹ 10.43 करोड़ की राशि पर अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ (एसटीसीजी) के रूप में कर लगाया जाना था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.43 करोड़ के एसटीसीजी का अल्प निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 4.53 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहरण हुआ। आयकर विभाग ने सूचित किया (जून 2017) कि सुधार कार्रवाई आरंभ की जा रही थी। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया है (सितम्बर 2017)।*

आयकर अधिनियम की धारा 45(1) यह प्रावधान करती है कि पूर्व वर्ष में हुए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतरण से अर्जित किसी लाभ या मुनाफे पर "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आयकर देय होगा, और इसे उस पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा जिस पूर्व वर्ष में यह अंतरित हुआ है।

3.4.4.2 प्र.सीआईटी-10, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2015 में **मै. एनवी डवलेपर्स प्रा. लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 9.01 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती 'जी-कॉर्प टेकपार्क' के परिचालन और रखरखाव में सलंगन था तथा अपनी किराये की आय 'व्यापार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष में दर्शाता था। निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारण अधिकारी ने किराये की आय को 'गृह संपत्ति से प्राप्त आय' माना और मूल्यहास तथा अन्य व्यय को अननुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वर्ष के अंतर्गत, निर्धारिती ने अगस्त 2011 में टेक पार्क की पांचवी मंजिल (15 मंजिलों में से) पर एक फ्लैट बेचा और इस बिक्री से लाभ होने पर ₹ 3.53 करोड़ को 'असाधारण मद' शीर्ष के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में

क्रेडिट कर दिया। चूंकि इन फ्लैटों से प्राप्त आय को लेखाअधिकारी ने 'गृह संपत्ति से प्राप्त आय' माना था, तो ऐसी बिक्री से होने वाला कोई भी अभिलाभ, व्यापार से मुनाफे की जगह 'पूंजीगत लाभ' के रूप में कर योग्य होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने फ्लैट तीन वर्ष से कम अवधि के लिए रखा था (अप्रैल 2010 से अगस्त 2011)। इसलिए, लाभ "अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ" के रूप में कर योग्य होगा। एसटीएसजी के रूप में कर की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.53 करोड़ के पूंजीगत अभिलाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2017) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत ठीक समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।*

3.4.4.3 सीआईटी अजमेर प्रभार राजस्थान, में नि.अ. ने नि.व. 2013-14 के लिए **मै. शारदा स्पनटैक्स प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण मार्च 2016 में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) ₹ 2.48 करोड़ की अग्रणीत व्यापार हानि और ₹ 1.38 करोड़ के अनावशोषित मूल्यह्रास सहित समंजित करके ₹ 0.98 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती की कर योग्य आय का निर्धारण करते हुए, नि.अ. ने एसटीसीजी से ₹ 2.48 करोड़ की अग्रणीत हानि को समंजित करना अनुमत किया, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अनियमित था। इस चूक के परिणामस्वरूप, ₹ 2.48 करोड़ के अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों की कम-गणना हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.11 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2017) तथा धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए गलती में सुधार किया (जनवरी 2017)।*

3.4.5 आर्मस् लेंथ प्राइस का गलत अनुमान

हमने चार सोदाहरण मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 सी के अंतर्गत आर्मस् लेंथ प्राइस (एएलपी) की गणना, ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को भेजी जानी चाहिए, यदि धारा 92बी के अंतर्गत यथा परिभाषित किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कीमत ₹ 15 करोड़ से अधिक होती है। टीपीओ निर्धारिती की सुनवाई के बाद और किन्हीं विशिष्ट बिंदुओं पर आवश्यक उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करके और उसने जो सामग्री एकत्रित की है, उस पर ध्यान देकर, धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में एएलपी निर्धारित करने का लिखित आदेश देगा और अपने आदेश की एक-एक प्रति नि.अ. और निर्धारिती को भेजेगा।

3.4.5.1 प्र.सीआईटी (टीपी)-1 मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2013-14 के लिए नवम्बर 2016 में **मै. एसीसी सिमेंट** का अंतरण कीमत निर्धारण ₹ 503.48 करोड़ पर आर्मस लेंथ प्राइस (एएलपी) समायोजन

निर्धारित कर पूर्ण किया। विद्युत की अंतर-युनिट अंतरण की एएलपी निर्धारित करते समय, विभिन्न स्थानों पर निर्धारिती का बिक्री मूल्य संशोधित किया गया था तथा ₹ 428.81 करोड़ का एएलपी समायोजन अंतरण कीमत आदेश के पैरा 33 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संशोधित बिक्री मूल्य की प्रक्रिया और उसपर समायोजन के अनुसार, 'जामूल' स्थान के संबंध में समायोजन की गणना करते समय मूल्य ₹ 47.55 करोड़ के स्थान पर भूलवश ₹ 4.75 करोड़ लिया गया था। इस भूल के परिणामस्वरूप ₹ 13.89 करोड़ के कर प्रभाव वाले 42.80 करोड़ के एएलपी का कम समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने जनवरी 2017 में धारा 154 के साथ पठित धारा सीए(5)⁷⁹ के अंतर्गत आदेश पारित कर इस भूल को सुधार लिया है। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) तथा गलती में सुधार किया।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सी(1) में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्मस् लेंथ प्राईस (एएलपी) किसी भी विधि, जो कि सबसे उचित विधि हो, लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन की श्रेणी या जुड़े व्यक्तियों की श्रेणी या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों या बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रसंगोचित खंड द्वारा निर्धारित होगी। विनिर्दिष्ट विधि (क) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि, (ख) पुनर्बिक्री मूल्य विधि, (ग) कॉस्ट प्लस विधि, (घ) प्रोफिट स्प्लिट विधि, (ङ.) लेन-देन निवल मार्जिन विधि तथा (च) बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य विधि, में से कोई भी हो सकती है।

3.4.5.2 सीआईटी (टीपी) पुणे प्रभार महाराष्ट्र में, टीपीओ ने नि.व. 2013-14 के लिए अक्टूबर 2016 में **मै. वोक्सवागन इंडिया प्रा. लि.** पर कॉस्ट प्लस विधि (सीपीएन) लागू कर के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन मूल्य ₹ 1,110.42 करोड़ का समायोजन निर्धारित कर आदेश पारित किया। सर्वाधिक उपयुक्त विधि (एमएमएम) के रूप में ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन विधि (टीएनएमएम) लागू करके ₹ 881.53 करोड़ का वैकल्पिक समायोजन भी किया गया था। एमएमएम के रूप में टीएनएमएम के साथ वैकल्पिक बेंचमार्किंग करने के दौरान, आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती का लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) (-) 13.74 प्रतिशत निर्धारित किया गया जबकि कंपेरेबल्स केपीएलआई की गणना 1.81 प्रतिशत की गई। इस पर विचार करते हुए निर्धारिती के मामले में (-) ₹ 811.84 करोड़ के वास्तविक परिचालन लाभ के प्रति निर्धारिती का आर्मस् लेंथ परिचालन लाभ ₹ 106.90 करोड़ (परिचालन राजस्व के रूप में ₹ 5,906.27 करोड़ का 1.81 प्रतिशत) होना चाहिए। इस प्रकार, इस शीर्ष के अंतर्गत कुल समायोजन ₹ 918.74 करोड़ प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। तथापि, आयकर विभाग द्वारा कंपेरेबल्स का

79 एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में एएलपी की गणना से संबंधित के किसी मामले के टीपीओ संदर्भ के लिए प्रक्रिया आयकर अधिनियम की धारा 92 सीए के अनुसार होती हैं। धारा 92 सीए की उपधारा 5 के अनुसार टीपीओ अपने समक्ष कार्रवाई के दौरान बाद में पहचाने गये अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की एएलपी निर्धारित कर सकता है।

पीएलआई सही 1.81 प्रतिशत के स्थान पर 1.18 प्रतिशत माना था। परिणामतः, अधिनियम की धारा 92 सीए(3) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल ₹ 881.53 करोड़ का एएलपी समायोजन अनुमत करने के पश्चात आर्मस लेंथ प्रोफिट की अशुद्ध गणना ₹ 69.69 करोड़ (₹ 5,906.27 करोड़ का 1.18 प्रतिशत) की गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 37.21 करोड़⁸⁰ का कम समायोजन हुआ जिसमें ₹ 12.07 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा अधिनियम की धारा 92सीए(जे) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करके गलती में सुधार किया।

3.4.5.3 सीआईटी एंड टीपी, कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में, टीपीओ ने नि.व. 2012-13 के लिए जनवरी 2016 में धारा 92सीए (3) के अंतर्गत **मै. फिलिप्स इंडिया प्रा. लि.** पर ₹ 371.94 करोड़ के उर्ध्वागामी समायोजन पर आदेश पारित किया जिसे जनवरी 2017 में विवाद निस्तारण पैनल (डीआरपी) के निदेशों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 92सीए (5) तथा 144 सी(5) के साथ पठित धारा 92सीए(3) के अंतर्गत ₹ 340.21 करोड़ पर संशोधित किया गया था। जनवरी 2017 के अंतिम टीपी आदेश में, लाइटनिंग (वितरण) डिवीजन तथा सीएलएस (वितरण) डिवीजन के लिए एडवरटीज़मेंट मार्केटिंग तथा प्रमोशन (एएमपी) खर्चों के संबंध में उर्ध्वागामी समायोजन ₹ 1.03 करोड़ (लाइटनिंग डिवीजन ₹ 0.02 करोड़ तथा सीएलएस डिवीजन ₹ 1.01 करोड़) की कुल राशि के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा से पता चला कि उर्ध्वागामी समायोजन करते समय टीपीओ ने प्रचालन आय के स्थान पर एएमपी व्यय पर उर्ध्वागामी समायोजन की गणना की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.03 करोड़ (क्रमशः लाइटनिंग के लिए ₹ 2.27 करोड़ तथा सीएलएस के लिए ₹ 18.76 करोड़) का अल्प उर्ध्वागामी समायोजन हुआ जिसमें ₹ 6.82 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। आयकर विभाग ने धारा 154 तथा 92सीए(3) के साथ पठित धारा 144 सी(5) के अंतर्गत इस त्रुटि को सुधार लिया (जून 2017)।

3.4.5.4 सीआईटी-1 टीपीओ प्रभार दिल्ली में, टीपीओ ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 92सीए(3) के अंतर्गत **मै. भारती एयरटेल लि.** पर कॉरपोरेशन गारंटी के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन, सहयोगी एंटरप्राइजेज को दिए गये ऋणों पर ब्याज (ईई), प्राप्य राशियों (ईई से प्राप्ति योग्य) तथा शेयरों के मूल्यांकन पर ₹ 227.96 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। टीपीओ ने उसकी तीन अनुषंगी कंपनियों नामतः **मै. भारती एयरटेल (यूएसए) लि., मै. भारती एयरटेल इंटरनेशनल (नीदरलैंड्स)**

80 ₹ 37.21 करोड़ = ₹ 918.74 करोड़ - ₹ 881.53 करोड़

बी.वी तथा मै. भारती एयरटेल (लंका) लि. को दिए ऋणों पर 11.69 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹ 0.19 करोड़, ₹ 17.94 करोड़ तथा ₹ 54.19 करोड़ के ब्याज समायोजन प्रस्तावित किए। तथापि, अंतिम गणना में, ₹ 0.19 करोड़ तथा ₹ 17.94 करोड़ का प्रस्तावित समायोजन शामिल नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.13 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपरेबल अनकंट्रोल्ड प्राईस (सीयूपी) विधि लागू करते समय, पंजाब नेशनल बैंक की वित्तीय गारंटी रेट की दर 3.6 प्रतिशत के स्थान पर 2.7 प्रतिशत (0.9 प्रतिशत प्रति तिमाही दर दी गई थी) ली गई, जिसके कारण ₹ 87.16 लाख का अल्प समायोजन हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप टीपीओ के आदेश में ₹ 19 करोड़ का अल्प समायोजन हुआ जिसमें ₹ 6.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण बनता था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मई 2016)।*

3.4.6 अस्पष्ट निवेश/कैश क्रेडिट

हमने एक सोदाहरण मामला नीचे दिया है:

धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती की लेखा बहियों में क्रेडिट हुई किसी भी राशि की प्रकृति और स्रोत के संबंध में निर्धारिती कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है तो, क्रेडिट राशि को निर्धारिती की आय मानकर उस पर आयकर लगाया जाय। अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार, निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यदि एओ अपने मतानुसार यह समझता है कि यह राजस्व के हित में है, तो वह प्रधान आयकर आयुक्त से पूर्वानुमति लेकर, अस्थायी रूप से निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की कर सकता है। उसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 226(3) के अंतर्गत निर्धारिती के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं।

3.4.6.1 प्र.सीआईटी-14, मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में, मै. डार्विन प्लैटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लि. नामक एक कंपनी ने नि.व. 2012-13 (सितम्बर 2012) के लिए ₹ 1.16 करोड़ की आय घोषित की। संबंधित वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान असुरक्षित ऋण की बड़ी मात्रा (निर्धारिती द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 1,799.78 करोड़ अर्जित किए गये थे) की जांच करने के लिए सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामले का चयन किया गया। नि.अ. ने अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत वर्ष के अंत में अस्पष्ट आय के रूप में ₹ 1900.79 करोड़ की राशि के समूचे असुरक्षित ऋण के एक प्रतिशत ₹ 19.01 करोड़ का तदर्थ जोड़ करके धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण (मार्च 2015) पूर्ण किया।

निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, आयकर विभाग ने निर्धारिती को इन ऋणों (असुरक्षित ऋण दाताओं की सूची और उनकी पुष्टियाँ सहित) के संबंध में

विवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए (अगस्त 2013, दिसम्बर 2014 तथा मार्च 2015)। तथापि, दो नोटिस दिए जाने के बाद भी, निर्धारिती से इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ₹ 1,900.79 करोड़ के ऋण लेनदेन शामिल होने के कारण यह महत्वपूर्ण मामला होने पर आयकर विभाग को निर्धारिती के बारे में सभी आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी थी, जैसे निर्धारिती की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां आदि तथा राजस्व के हितों की रक्षा करने हेतु संपत्ति संलग्न करना और/या बैंक खाते फ्रीज करने के कदम उठाने थे। आयकर विभाग ने असुरक्षित ऋण की संपूर्ण राशि के स्थान पर असुरक्षित ऋण का एक प्रतिशत इस आधार पर जोड़ा कि ऋण लेनदेन की सत्यता के तीन मापदंड जैसे कि ऋण दाता की पहचान, उनकी साख और प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की गई थी। नि.अ. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष संतोषजनक नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1,780.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 577.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण बनता था। इसके अतिरिक्त धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 208 करोड़ का कर भी उद्ग्रह्य था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि चूंकि निर्धारण एक तरफा था इसलिए, धारा 264 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर थी।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 40 मामलों में नि.अ. ने आय का अधिक निर्धारण किया जिसमें ₹ 446.08 करोड़ के कर और ब्याज का अधिक प्रभार शामिल था। हम पांच सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं।

3.5.1.1 प्र.सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2008-09 के लिए फरवरी 2015 में संवीक्षा के पश्चात मै. नेशनल एविएशन कंपनी (इंडिया) लि. का निर्धारण पुनः खोला और नि.व. 1997-98 से संबंधित अनावशेषित मूल्यहास के लिए ₹ 39.69 करोड़ की वृद्धि कर अन्य के साथ ₹ 4,679.29 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए, निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण कंपनी ने ₹ 311.12 करोड़ का अनावशेषित मूल्यहास, जिसमें नि.व. 1997-98 से संबंधित ₹ 39.69 करोड़ भी शामिल था, अग्रेषित किया जो कि मार्च 2012 में पारित सुधारात्मक आदेश के अंतर्गत या दिसम्बर 2010 में विभाग द्वारा पारित पूर्ण संवीक्षा आदेश के समय संमंजित करना अनुमत नहीं किया गया था चूंकि निर्धारिती ने पिछले वर्ष में हानि दर्शायी थी। इस प्रकार, नि.अ. को नि.व. 2008-09 की आय

समायोजित करने की अपेक्षा नि.व. 1997-98 से संबंधित ₹ 39.69 करोड़ के अनावशोचित मूल्यहास को अग्रेषित करने के दावे को कम करना चाहिए था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.69 करोड़ की हानि का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 13.49 करोड़ का संभाव्य कर का अधिक उद्ग्रहण शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।

3.5.1.2 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), गुड़गांव प्रभार, हरियाणा में, नि.अ. ने नि.व. 2009-10 के लिए मार्च 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत **मै. टोकाई इम्पीरियल रबर इंडिया प्रा. लि.** का निर्धारण ₹ 30.59 करोड़ की आय निर्धारित कर पूर्ण किया। आयकर योग्य आय की गणना करते समय नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा भरी गई रिटर्न के अनुसार ₹ 20.97 करोड़ की हानि की अपेक्षा गलती से ₹ 20.97 करोड़ की आय ली। ₹ 9.72 करोड़ की अस्वीकृति करने के पश्चात ₹ 11.35 करोड़ की हानि की सही राशि की अपेक्षा निर्धारित आय गलती से ₹ 30.59 करोड़ निर्धारित की गई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 10.72 करोड़ का कर अधिक लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत आदेश जारी करके गलती को सुधार लिया है (सितम्बर 2015)।

3.5.1.3 प्र.सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.अ. ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए मार्च 2016 में **मै. ट्रैंड व्यापार लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 21.81 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती ने ₹ 97.16 लाख की आय के प्रति ₹ 21.78 करोड़ की अग्रेणीत हानि दर्शाते हुये वर्ष के लिए भरी गई रिटर्न में शून्य आय दर्शायी और ₹ 20.81 करोड़ की शेष हानि आगामी वर्ष में समंजित करने के लिए अग्रेषित की गई थी। नि.अ. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारिती की समूची अग्रेषित हानि का दावा अस्वीकार कर दिया और निर्धारिती की कुल आय में ₹ 3.32 लाख के अननुमत व्ययों के साथ इस राशि को गलती से जोड़ दिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.81 करोड़⁸¹ की आय का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 9.20 करोड़ का अधिक कर शामिल था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत गलती सुधार ली (मई 2016)।*

81 ₹ 20.81 करोड़ = [₹ 21.81 करोड़ - (₹ 97.16 लाख + ₹ 3.32 लाख)]

धारा 234बी(3) के अनुसार, यदि धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप राशि जिस पर आरंभ में ब्याज देय था, बढ़ जाती है तो करदाता 1 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक माह या माह के भाग पर अतिरिक्त ब्याज देने के लिए दायी होगा। यह गणना धारा 143(1) के अंतर्गत कुल आय का निर्धारण करने की तारीख से नियमित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख तक होगी।

3.5.1.4 प्र.सीआईटी-4 हैदराबाद प्रभार आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, नि.अ. ने नि.व. 2010-11 के लिए मै. डेक्कन क्रॉनिकल हॉलडिंग्स लि. का संवीक्षा निर्धारण ₹ 364.10 करोड़ की आय निर्धारित करके मार्च 2013 में पूर्ण किया। इसके पश्चात मार्च 2015 में यह निर्धारण पुनः खोला तथा आय ₹ 3,280.27 करोड़ तक बढ़ाकर पूर्ण किया गया। मार्च 2015 में किए गये पुन निर्धारण के अंतर्गत कर मांग की गणना करते समय, नि.अ. ने 10 प्रतिशत की उदग्रहाय दर की अपेक्षा 7.5 प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्ग्रहीत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.60 करोड़ का सरचार्ज कम उद्ग्रहीत हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 246.86 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा नि.अ. ने धारा 234बी के अंतर्गत गलती से ₹ 592.26 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया, इसके परिणामस्वरूप ₹ 345.41 करोड़ का कर अधिक उद्ग्रहीत किया गया। इन भूलों के परिणामस्वरूप ₹ 320.80 करोड़ की निवल कर की अधिक मांग हुई। आयकर विभाग ने क्रमशः जून 2016 तथा जनवरी 2017 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

3.5.1.5 प्र.सीआईटी-3 प्रभार दिल्ली में, नि.अ. ने मार्च 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए मै. दिल्ली ट्रांस्को लि. का संवीक्षा निर्धारण “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में ₹ 39.35 करोड़ तथा अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 317.31 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। कर मांग की गणना करते समय, नि.अ. ने अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 18.08 करोड़ का ब्याज गलती से उद्ग्रहीत किया बावजूद इसके कि निर्धारिती के पास ₹ 83.74 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट उपलब्ध था जो ₹ 63.49 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 18.08 करोड़ का ब्याज अधिक लगाया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा धारा 154 के अंतर्गत भूल सुधार ली (मई 2016)।

